



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.05-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा/01 खोखा/01 जिंदा कारतूस 315 बोर 01 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.04.2025 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। तभी कलसिया रोड की तरफ से नहर की पटरी पर होते हुए ग्राम बाबेल बुजुर्ग की तरफ जाने वाली रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा टार्च दिखाकर रुकने का इशारा किया गया। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने पुलिस को देखकर हड़बड़ाकर तेज गति से भागने का प्रयास करने लगा, जिसके कारण मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गई। तभी व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस द्वारा अपना बचाव करते हुए बदमाश को घेर घौटकर पकड़ लिया। जिसकी पहचान मोनू उर्फ मोहतरम उर्फ मोहतसिन पुत्र नसीम निवासी ग्राम रीढी मोहिद्विनपुर जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना बेहट पर गोकशी, हत्या का प्रयास व गैंगस्टर एक्ट जैसे अपराधों में 05 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा/01 खोखा/01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 175/25 धारा- 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं किसी काम से कहीं जा रहा था तो रास्ते में पुलिस ने मुझे टार्च दिखाकर रुकने का इशारा किया। मैंने पुलिस टीम को देखकर घबराकर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर वहाँ से भागने का प्रयास करने लगा की तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पास अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद किए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू उर्फ मोहतरम उर्फ मोहतसिन पुत्र नसीम निवासी ग्राम रीढी मोहिद्विनपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त मोनू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 214/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम थाना बेहट सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 155/2019 धारा 307 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 154/2019 धारा 3/5A/8 गौकश अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 0012/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम थाना बेहट सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 461/22 धारा 3/5 गौवध अधि व 11(1)(D) पशु क्रूरता अधि0 थाना बेहट सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमन्चा .315 बोर
- 01 खोखा /01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मनीष कुमार बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री बलराम सिंह बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 185 हर्ष चौहान थाना बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा/01 जिन्दा

कारतूस 315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2024 को वादी उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना की तहरीर के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 325/24 धारा 109/111 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम 1. जुबेर पुत्र बदरुद्दीन निवासी गढी दौलत थाना कांधला जिला शामली 2.कादिर पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बाईखेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर, 3.आवेश पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बाईखेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर, 4.जहांगीर पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बाईखेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर व 5. मुस्तकीम पुत्र मकबूल निवासी कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया।।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वाराण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में 01वांछित अभियुक्त **मुस्तकीम पुत्र मकबूल निवासी कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को छुछकपर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। मुकदमा उपरोक्त में पुलिस द्वारा जुबेर को मौके से ही व कादिर को दिनांक 02.11.2024 को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ। अधिक पैसे कमाने के लिये मैं अपने अन्य साथियों जुबेर, कादिर, आवेश के साथ मिलकर स्मैक बेचने का कार्य भी करता हूँ। दिनांक 18.09.2024 को मैं अपने साथियों के साथ स्मैक बेचने के लिए ग्राम बाईखेडी जाने वाले रास्ते पर खड़ा था तभी अचानक वहाँ पुलिस आ गयी। हम सभी पुलिस को देखकर उन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग खेतों के रास्ते भाग गये थे। आज जो तमंचा पुलिस ने मुझसे बरामद किया है यह वही तमंचा है जिससे मैंने पुलिस पर फायरिंग की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुस्तकीम पुत्र मकबूल निवासी कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तकीम का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 38/11 धारा 323, 406, 420, 504 भादवि व 3(2)(va) एससीएटी एक्ट ,
2. मु0अ0सं0 107/20 धारा 147, 148, 149, 307, 341 भादवि व 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम
3. मु0अ0सं0 304/22 धारा 307, 323, 365, 511 भादवि
4. मु0अ0सं0 416/17 धारा 323, 452, 504, 506 भादवि

बरामदगी का विवरण -

➤ 01 तमंचा/ 01 जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक सिराजुद्दीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 791 राजीव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/ वारण्टी अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.05.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा गश्त चैकिंग के दौरान कमेला रोड पर गस्त करते हुए पहुँचे तो पानी की टंकी की तरफ से एक नई उम्र का लडका आता हुआ दिखायी दिया। अचानक हम पुलिस वालों को देखकर भागने लगा तो शक के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त मौहम्मद शाहनवाज पुत्र मौ० सलीम निवासी पीर वाली गली न० 8/4 थाना मंडी सहारनपुर** को पानी की टंकी से आगे पशु पैठ के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु०अ०सं० 176/25 धारा 4/25 आयुध अधि० पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- गिरफ्तार अभियुक्त मौहम्मद शाहनवाज पुत्र मौ० सलीम उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ तथा नशे का आदी हूँ, यह चाकू में लोगों में रोब गालिब करने के लिए रखता हूँ।

बरामदगी का विवरण-

01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मौहम्मद शाहनवाज पुत्र मौ० सलीम निवासी पीर वाली गली न० 8/4 थाना मंडी, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. हे०का० 516 सोनू कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का० 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 01.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त चन्द्र चानना उर्फ चन्दन पुत्र गुलशन चानना निवासी हजीरा सराय बन्दरो वाला बाग थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को जारी न्यायालय प्रधान न्यायाधीश / परिवार न्यायालय सहारनपुर नियत तिथि 17.05.25 को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

चन्द्र चानना पुत्र गुलशन चानना निवासी हजीरा सराय बन्दरो वाला बाग थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. है0कां0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध अस्लाह के कारोबार की रोकथाम व इसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.05.25 को चैकिंग / गस्त के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त **शाहरुख पुत्र अलीजान निवासी मौ0 हबीबगढ निकट आलम मस्जिद थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को चुनमुन के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-144/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि पुलिस ने मुझसे जो चाकू बरामद किया है उसे मैं लोगो को डराने व धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरुख पुत्र अलीजान निवासी मौ0 हबीबगढ निकट आलम मस्जिद जनपद सहारनपुर थाना कोतवाली देहात

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. है0का0 334 संजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. है0का0 547 पंकज कुमार कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. का0 1253 अनिरुद्ध कुमार कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.05.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त मेहरबान पुत्र सत्तार निवासी गली न0 01/02 केला कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर सम्बन्धित एनबीडब्लू वाद 1381/2019 धारा 135 विद्युत अधि0 मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 सहारनपुर को गली न0 01/02 केला कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मेहरबान पुत्र सत्तार निवासी गली न0 01/02 केला कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
- 2.हे0का0 516 सोनू कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
- 3.का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 01.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चलाने वाले दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 टाटा कम्पनी का ट्रक व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.04.2025 की रात्रि को गस्त/चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस द्वारा एक ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चलाने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. मुन्ना पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर 2. अफजाल पुत्र मोमीन निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर को टोल के पास दिल्ली सहारनपुर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 टाटा कम्पनी का ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नं० R 58 E7704 व 01 फर्जी नम्बर प्लेट HR 58 C4186 एवं नम्बर प्लेट बदलने हेतु 01 प्लास बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नानौता पर मु०अ०स० 98/25 धारा 318(4),336(2) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया व बरामद ट्रक को धारा 207 एम.वी. एक्ट में सीज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो ट्रक न० HR 58 E7704 के चालक व हैल्पर है। यह ट्रक फाईनेन्स पर ले रखा है जिसकी किस्त समय पर नहीं भरी गयी है। ट्रक के मालिक ने हम लोगो को दूसरे ट्रक की नम्बर प्लेट HR 58 C 4186 दे रखी है। हम ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर इसलिये चलाते हैं ताकि हमें पुलिस व फाईनेन्स कंपनी वाले हमें पकड़ न सके। दिनांक 30.05.2025 की रात्रि को जब हम फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर शामली से सहारनपुर में बादशाहीबाग मिर्जापुर में जा रहे थे तो रास्ते में चौकी जन्धेडी के पास टोल पर इस नम्बर प्लेट से टल नही कटा तो हमने ट्रक को वापिस मोडकर कहीं सुनसान जगह ले गये व सही प्लेट नम्बर प्लेट लगाने के बाद वापिस टोल पर आये जिससे हमारे ट्रक को टोल कट गया। कुछ दुरी पर जाकर हमने ट्रक रोककर फिर से फर्जी नम्बर प्लेट लगा रहे थे की तभी पुलिस ने हमे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

.1मुन्ना पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर

.2अफजाल पुत्र मोमीन निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 टाटा कम्पनी का ट्रक (HR58E7704)
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट HR58C4186
- 01 प्लास बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त मुन्ना का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 220/21 धारा 379/411/120 बी भादवि व 3(2) लोक संपत्ति अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 98/25 धारा 318(4),336(2) बी.एन.एस थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1047 सतीश नागर थाना नानौता जपनद सहारनपुर
4. है0का0 335 सतीश नागर थाना नानौता जपनद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 01-05-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें में 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.02.2020 को वादी उप निरी0 श्री कैलाश चन्द शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त 1. अमजद पुत्र जिन्दा निवासी बाढीमाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-69/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-1147/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 01.05.2025 को अभियुक्त अमजद पुत्र जिन्दा को 69/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी

विवेचक- उप निरी0 श्री संजय कुमार शर्मा

पैरोकार का0- आजाद थाना गंगोह सहारनपुर।

